

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936

No. 155]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2014

सा.का.नि. 212 (अ).—भारत सरकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (14 का 1957) की धारा की 78 उप) धारा-2) की उपधारा 11 के साथ पठित धारा (क) के खंड (2) शक्तियों का प्रयोग करते हुएमें प्रदत्त (एतद्द्वारा अधोलिखित नियम बनाती है, नामतः-

.1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

-) 1(इन नियमों को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड वेतन और भत्ते एवं अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें नियम, कहा जाएगा। 2014
-) 2 (ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .— इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.....

(क) "अधिनियम" का आशय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957(14 का 1957) से है;

(ख) "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" का आशय, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत स्थापित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से है।

3. वेतन और अन्य भत्ते .-

(1) (क)अध्यक्ष80 ,मान में रहेगा- वेतनके सर्वोच्च (नियत) रूपये प्रतिमाह 000 ।

10 सदस्य (ख) ,37400 रूपये ग्रेड वेतन के साथ 000-रूपए के वेतनमान में होंगे 67000 ।

)2 यालय का न्याजहां उच्च (सेवारत न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां वह उसी दर से अपना मासिक वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुमत था।

बशर्ते कि जहां उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसके मासिक वेतन से सकल पेंशन राशि अथवा नियोक्ता के भविष्य निधि में अंशदान की राशि या सेवानिवृत्ति रूप में अन्य कोई लाभ यदि कोई है, की राशि, उसके द्वारा प्राप्त की जा रही राशि से घटाकर दी जाएगी।

) 3यालय के पीठ न्याउच्च (ासीन न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर वह उन भत्तों और अन्य लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्वीकार्य थे।

) 4) नियम-उप (1 वेतनमान के अतिरिक्तष्टमें स्प (, सदस्य, उन सभी भत्तों और अन्य लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार की समुचित श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकार्य हों और समयसमय पर ऐसे भत्तों- तथा अन्य लाभों को स्वीकृत करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन हों।

4. भविष्य .निधि-- 1) के उपनियम 3 नियम (2) और उपनियम (3)धनके अध्यक्ष (, अध्यक्ष और अन्य सदस्य नई पेंशन स्कीम,के उपबंधों से अभिशासित ह 2004 ोंगे।

)2 उपदान अनुमत नहीं होगा। पेंशन और अतिरिक्तधिकार बोर्ड में की गई सेवा के लिए कोई अतिरिक्तप्रतिलिप्य (

5. अवकाश – अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियम) के उपनियम 32) और उपनियम (3लिखित अवकाश धीन निम्नके अध्यक्ष (:के हकदार होंगे

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जिस कैलेण्डर वर्ष में की जाती है, उसके अर्द्ध) वर्ष-6 माहमें की जाने (वाली संभावित सेवा परप्रत्येक पूर्ण माह के लिए ढाई दिन की दर से उनके अवकाशखाते में अवकाश जमा - किया जाएगा।

(ख) अर्द्ध कवेतन अवकाश अग्रिम रूप से प्रत्ये-कैलेण्डरक दस वर्ष के जनवरी और जुलाई माह के प्रथम दिन प्रत्ये- पत्र पर या निजी मामलों में- प्रमाणवेतन अवकाश के रूप में चिकित्सा- में अर्द्धदिनों की दो किस्तों, प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर वर्ष की सेवा के संबंध में बीस दिनों की दर से जमा किया जायेगा और अर्द्धवेतन अवकाश के लिए-, अवकाशकार्य अवकाश वेतन के आधे के समकक्ष होगा। यह अवकाशवेतन अर्जित अवकाश के दौरान स्वी-, उक्त खाते में 5/र माह से जमा किया जाएगादिनों की दर से उस कैलेण्ड 3, जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है।

(ग) अध्यक्ष या अन्य सदस्य के विवेक पर अर्द्धवेतन अवकाश को पूर्ण वेतन अवकाश में परिणित किया जा सकता है - बशर्ते, यह अवकाश चिकित्सा के आधार पर लिया गया हो और इसके समर्थन में सक्षम चिकित्साप्राधिकारी - प्रमाण पत्र दिया गया हो-द्वारा चिकित्सा, और

(घ) असाधारण अवकाश बिना वेतन और भत्तों के कार्यकाल की एक अवधि में अधिकतम दिनों तक मंजूर 180 1 किया जा सकता है। तथापि असाधारण अवकाश के कारण/की दर से अर्जित छुट्टी की कटौती की जाएगी। 10

) 2 (अवकाश के दौरान, अवकाशनियमावली (अवकाश) य सिविल सेवाएंवेतन केन्द्री-,के उपबंधों के 40 के नियम 1972 र्गतअन्तअभिशासित होगा।

) 3 (बोर्ड में, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर वे अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के वेतन के समकक्ष नगद राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, बशर्ते, इस उप होने पर नकदीकृत नियम के अंतर्गत और पूर्व सेवा से निवृत्त- अवकाश कुल मिलाकर तीन सौ दिनों से अधिक नहीं होगा।

6. **अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी.** - अध्यक्ष के मामले में केन्द्र सरकार और अन्य सदस्यों के मामले में अध्यक्ष अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी होगा।
7. **यात्रा और दैनिक भत्ता.**—यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, तो समयसमय पर - यालय न्याक्ष उच्चलागू होगी। यदि अध्यक्ष 1956 नियमावली (यात्रा भत्ता) याधीशयालय न्या न्यायथासंशोधित उच्च सदस्यक्ष और दो अन्ययाधीश नहीं है तो अध्यक्ष न्याका सेवारत या सेवानिवृत्त, मूल नियमावली और अनुपूरक नियमावली दि पर यात्रा भत्ता नियमावली के उपबंधों से अभिशासित होंगे और उनके दौरे इत्यायात्रा भत्ता (II-भाग) 23 य विभाग के दिनांककी पात्रता व्य.09.19030 के कार्यालय जापन संख्या 2008/3/2008-ई.IV के अनुसार होगी।
8. **अवकाश यात्रा रियायत.**—नियम) के उपनियम 32) और उपनियम (3धीनके अध्यक्ष (, अध्यक्ष और अन्य सदस्य अवकाश यात्रा रियायत के लिए उसी पैमाने और उसी दर से हकदार होंगे जो समकक्ष वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारियों पर लागू होंगी।
9. **.विदेश के आधिकारिक दौरे**—अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा विदेश के आधिकारिक दौरे केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ही किए जाएंगे तथा वे ऐसे दौरे के संबंध में ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो समकक्ष वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारियों पर लागू होंगे।
10. **आवास.**—1) सदस्यक्ष या अन्यअध्य (के रूप में बोर्ड में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सामान्य पूल आवास, जो नियुक्ति के समय उसके कब्जे में था, को अधिकतम पांच वर्षों की अवधि तक रखने के हकदार होंगे।
(2) जहां अध्यक्ष या अन्य सदस्य उपर्युक्त उपनियम)1के अंतर्गत कवर न होता है तो वह केन्द्र (र सरकार में समकक्ष वेतन के समूह 'क' के अधिकारी को यथा अनुमत्य मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा।
11. **परिवहन.**—अध्यक्ष और अन्य सदस्य, भारत सरकार की स्टाफ कार नियमावली के अनुसार सरकारी या निजी प्रयोजन से दौरे करने हेतु स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।
12. **चिकित्सा सुविधाएं .**— अध्यक्ष अन्य सदस्य, केन्द्रीय सेवा नियमावली (परिचर्याचिकित्सा),में यथा उपबंधित 1944 उपचारचिकित्सा और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे।
13. **विशेष उपबंध .**— उपर्युक्त नियम क्ष की सेवा शर्तें और अन्य बात होने के बावजूद अध्यक्षमें निहित कोई अन्य 12 से 4 याधीशों को अनुमत हैंपरिलब्धियां जो सेवारत न्या, वही रहेंगी जो उच्च न्यायालय, न्यायाधीश सेवा की शर)त्तें (अधिनियम,यालय न्यातथा उच्च 1954 , न्यायाधीश नियमावली (यात्रा भत्ता),में निहित 1956 हैं :
14. **अन्य सेवा शर्तें.**—अध्यक्ष और अन्य सदस्यों जिनके संबंध में सेवा शर्तों के लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी समकक्ष वेतन पाने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारी को अनुमत्य हैं।
15. **व्याख्या.**—यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।
16. **अवशिष्ट उपबंध.**—अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तों और निबंधनों से संबंधित मामलों, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा और केन्द्र सरकार का निर्णय अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, पर लागू होगा।
17. **शिथिल करने का अधिकार.**—केन्द्र सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों को शिथिल करने का अधिकार होगा।

[सं.9 -3/2013-सीआरबीविधायी एकक/]

वीना ईश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2014

G.S.R. 212 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 read with clause (a) of sub-section (2) of section 78 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement.--

(1) These rules may be called the Copyright Board Salaries and Allowances and the other terms and conditions of service of the Chairman and other Members Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires —

(a) “Act” means the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(b) “Copyright Board” means the Copyright Board established under section 11 of the Act.

3. Pay and other Allowances.--

(1) (a) The Chairman shall be in Apex scale of Rs 80,000/- per month(fixed);

(b) The members shall be in the pay scale of Rs 37, 400-67, 000/- with Grade pay of Rs. 10, 000/- per month.

(2) Where a serving judge of High Court is appointed as the Chairman, he shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a judge of the High Court:

Provided that where a retired judge of the High Court is appointed as the Chairman, his monthly salary shall be reduced by the gross amount of pension or employer’s contribution to the contributory provident fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn by him.

(3) A sitting or a retired judge of the High Court is appointed as the Chairman, he shall be entitled to such allowances and other benefits as is admissible to a judge of the High Court.

(4) In addition to the pay scale specified in sub-rule (1), a member shall be entitled to such allowances and other benefits as is admissible to the Central Government officers of the appropriate category and subject to conditions laid down in rules and orders of to the Central Government governing the grant of such allowances and other benefits in force from time to time.

4. Provident Fund.—(1) Subject to sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 3 the Chairman and other Members shall be governed by the provisions of the New Pension Scheme, 2004.

(2) No additional pension and additional gratuity shall be admissible for service rendered in the Copyright Board.

5. Leave.—(1) Subject to sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 3 the Chairman and other Members shall be entitled to leave as follows:

(a) Earned leave shall be credited to the leave account at the rate of 2 ½ days for each completed month of service which the Chairman and other Members are likely to render in half-year of the calendar year in which he is appointed. ;

(b) The half pay leave shall be credited with half-pay leave in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year on medical certificate or on private affairs, at the rate of twenty days in respect of each completed calendar year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during earned leave. The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service which he is likely is appointed;

(c) Leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairman or Other Member provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority; and

(d) Extra ordinary leave shall be granted without pay and allowances up to a maximum of 180 days in one term of office. However, there shall be a reduction of earned leave at the rate of 1/10 on account of Extra ordinary leaves.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed under the provisions of rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) On expiry of the term of office in the Board, the Chairman and other Members shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of earned leave standing to his credit subject to the condition that the

- maximum of leave encashed under this sub-rule and at the time of retirement from previous service taken together shall not in any case exceed three hundred days.
6. **Leave sanctioning authority.**—In case of Chairman, the Central government, and in case of other Members, the Chairman, shall be the leave sanctioning authority.
 7. **Travelling and Daily allowance.**—If the Chairman is a serving or retired Judge of a High Court, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, as amended from time to time, shall be applicable. If the Chairman is not a serving or retired Judge of a High Court, the Chairman and two other Members shall be governed by the provisions of Fundamental Rules and Supplementary Rules (Part II) Travelling Allowance Rules and their entitlement of Travelling Allowance on tour etc. would be as per the Department of Expenditure's O.M 19030/3/2008-E.IV dated 23.09.2008.
 8. **Leave travel concession.**—Subject to sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 3 the Chairman and other Members shall be entitled to Leave Travel Concession at the same scale and at the same rates as applicable to officers of the Central Government drawing equivalent pay.
 9. **Official visits abroad.**—Official visits abroad by the Chairperson or Members shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Central Government and they shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as are applicable to the officers of the Central Government drawing an equivalent pay.
 10. **Accommodation.**—(1) Every person appointed to the Board as the Chairman or other Member shall be entitled to retain general pool accommodation which they are occupying at the time of appointment for a maximum period of five years.
(2) Where the Chairman or other Member is not covered under the sub-rule (1) above, he shall be entitled to a house rent allowance as admissible to a Group 'A' officer of equivalent pay in the Central Government.
 11. **Transport.**—The Chairman and Other Members shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purpose in accordance with the Staff Car Rules of the Government of India.
 12. **Medical facilities.**—The Chairman and other Members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
 13. **Special provision.**—Notwithstanding anything contained in rules 4 to 12 above, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Services) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956:
 14. **Other conditions of service.**—Other conditions of service of the Chairman and other Members, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to an officer of the Central Government drawing an equivalent pay.
 15. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules the same shall be referred to the Central Government for its decision.
 16. **Residuary provision.**—Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or a Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be applicable to the Chairperson or Member, as the case may be.
 17. **Power to relax.**—The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

[No. 9-3/2013-CRB/Legis.Unit]

VEENA ISH, Jt. Secy.